

110065/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

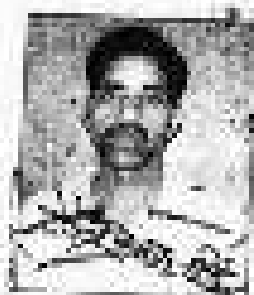
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

261908



लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. मुमि का प्रकार | : वृषि |
| 2. परगना | : लखनऊ |
| 3. ग्राम | : अहमानऊ |
| 4. संपत्ति का विवरण
(संपत्ति नं०) | : मुमि ससल लेख्या-833, 834, 865
869, 851, 883, 885, 885, 734 |
| 5. मापन की हकालत | : हेक्टेअर |
| 6. मिलीन संपत्ति का
विवरण | : 0.1099 हेक्टेअर |

हरीश चंद्रा- मित्र
लेखक का नाम

लेखक का नाम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 261909

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पैडों का मूल्यांकन	: कोई पैदा नहीं
9.	बोरींग/कुआ/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिकूल की धनराशि	: रु० 10,85,812/-
11.	बचाना	: रु० 10,00,812/-
12.	गालिबत	: रु० 3,51,680/-
13.	स्टाम्प	: रु० 15,200/-

पीछादी

खसरा नं० 833

पूरुब	: कृषि भूमि खसरा संख्या-834
पश्चिम	: कृषि भूमि खसरा संख्या-832
उत्तर	: कृषि भूमि खसरा संख्या-830, 831
दक्षिण	: कृषि भूमि खसरा संख्या-835, 836

इसका अंतिम हिस्सा
देखिए कृषि विभाग

8/12/2017

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

261910

- 3 -

खसरा नं० 834

पट्टा	: कृषि भूमि खसरा संख्या-832
परिवाम	: कृषि भूमि खसरा संख्या-833
ऊतार	: कृषि भूमि खसरा संख्या-834
वर्षाण	: कृषि भूमि खसरा संख्या-835

खसरा नं० 865

पट्टा	: कृषि भूमि खसरा संख्या-862
परिवाम	: कृषि भूमि खसरा संख्या-863, 864
ऊतार	: कृषि भूमि खसरा संख्या-872, 871
वर्षाण	: कृषि भूमि खसरा संख्या-865

खसरा नं० 869

पट्टा	: कृषि भूमि खसरा संख्या-870
परिवाम	: कृषि भूमि खसरा संख्या-868

Serial Number :

261910

हस्ताक्षर
26/12/2023
सहायक मजिस्ट्रेट

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 664563

- 4 -

उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या-871
दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या-887

खसरा नं० 851

पुरुष : कृषि भूमि खसरा संख्या-648
पारिवर्तन : कृषि भूमि खसरा संख्या-785
उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या-705, 652
दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या-650

खसरा नं० 887

पुरुष : कृषि भूमि खसरा संख्या-884
पारिवर्तन : कृषि भूमि खसरा संख्या-883
उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या-885
दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या-878

रजिस्ट्रार के कार्यालय
लखनऊ

पञ्जीकरण

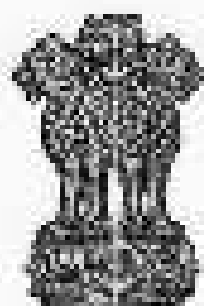
रजिस्ट्रार
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

खसरा नं० 885

पूर्व	: कृषि भूमि खसरा संख्या-823
पश्चिम	: कृषि भूमि खसरा संख्या-889, 887, 886
उत्तर	: कृषि भूमि खसरा संख्या-901, 902, 903
दक्षिण	: कृषि भूमि खसरा संख्या-883, 884

खसरा नं० 835

पूर्व	: कृषि भूमि खसरा संख्या-798, 799, 800
पश्चिम	: कृषि भूमि खसरा संख्या-836, 837, 838
उत्तर	: कृषि भूमि खसरा संख्या-833, 834, 832
दक्षिण	: कृषि भूमि खसरा संख्या-839, 840, 798

आगत प्रमाणिका नं० ४

हस्ताक्षर के माध्यम से
सत्यापित किया गया है

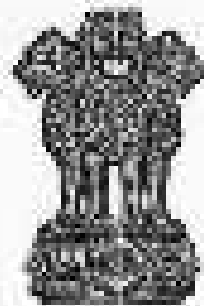
आगत प्रमाणिका नं० ४

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

संख्या नं० 734

पृथक् : कृषि भूमि खसरा संख्या-732
एकित : कृषि भूमि खसरा संख्या-733
जमीन : कृषि भूमि खसरा संख्या-732
रक्षित : कृषि भूमि खसरा संख्या-742

प्रथम पक्ष की संख्या-02

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

सिद्धोत्पन्न का विवरण	सेवा का विवरण
(1) श्रीश. कुमार सिंह व (2) देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्रगण श्रीसला मन्ना सिंह, निवासीगण - राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	अन्ततः प्रापतीय एण्ड इन्कालेक्चर लिमिटेड द्वारा श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगापाल सिंह, वर्तमान फार्मा-प्रथम तल, बाईपास/सी/ए/बि/किंग, 13-रणा प्रताप मार्ग लखनऊ। व्यवसाय-वापार

इसके मुताबिक
देखें

अधिकांश प्रमाणित है
[Signature]

वित्तिय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

हमकि (1) हरीश कुमार सिंह व (2) देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्रगण
झीसला बट्वा सिंह, ग्राम-आहमामऊ, परगना, तहसील व जिला-
लखनऊ, के हैं।

यह कि वित्तियतागण पटवारिक खाता खतीनी क्रम संख्या-
00230, फसली वर्ष 1415 से 1420 के खास संख्या-833 रकबा
0.2160 हेक्टेअर में से रकबा 0.0716 हेक्टेअर, खास संख्या-834
रकबा 0.1860 हेक्टेअर में से रकबा 0.0653 हेक्टेअर, खास
संख्या-835 रकबा 0.7000 हेक्टेअर, में से रकबा 0.0716 हेक्टेअर,
खास संख्या-869 रकबा 0.1530 हेक्टेअर में से रकबा 0.0627
हेक्टेअर, खास संख्या-831 रकबा 0.7070 हेक्टेअर में से रकबा
0.0358 हेक्टेअर, खास संख्या-883 रकबा 0.1140 हेक्टेअर में से
रकबा 0.0379 हेक्टेअर, खास संख्या-885 रकबा 0.4510 हेक्टेअर
में से रकबा 0.1601 हेक्टेअर, कुल 7 कित्ता व कुल रकबा 0.495
हेक्टेअर में से अपना हिस्सा यानि 1/16 भाग यानि रकबा 0.0309
हेक्टेअर, तथा पटवारिक खाता खतीनी क्रम संख्या-00506, फसली
वर्ष 1415 से 1420 के खास संख्या-835 रकबा 0.5310 हेक्टेअर,
खास संख्या-734 रकबा 0.1010 हेक्टेअर, दो कित्ता, कुल रकबा
0.6320 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा यानि 1/8 भाग यानि रकबा
0.079 हेक्टेअर, इस प्रकार कुल 9 कित्ता व कुल रकबा 0.1099
हेक्टेअर, स्थित ग्राम आहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ
के नासिक कानून व काबिज हैं, जो वित्तियतागण की पैतृक सम्पत्ति है,

हरीश कुमार सिंह
देवेन्द्र कुमार सिंह

24/6

जो उन्हें बराबरान प्राप्त हुई है जिसका विस्तारण के नाम अमल बराबर हो चुका है।

यह कि जल भूमि दिनांक 03.03.2008 को अधिन अमर जिलाधिकारी/सकम प्राधिकारी नगर भूमि सीमासंपन्न लखनऊ के द्वारा अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग के नाम दर्ज हो गई है, जिसका नगर सकम प्राधिकारी के कार्यालय में लभित है। विस्तृत कृषि भूमि विस्तारण के कले में मौजूद है, विस्तृत कृषि भूमि जगजा हर विस्तार के हुनकलान, विस्तार, रेहन, नगर, हिमा, जगान्त, कुर्मी, वनक, मुकदमा, सरकारी वा गैर सरकारी केक जग आदि से विस्तृत कृषि व वाक साक है, अतः सकम अधिकारी मुकदमा निर्गत होने के उपरान्त शीघ्रतः एक माह के भीतर विस्तारण केता के पक्ष में विस्तार विस्तार निष्पादित कर देगा। क्योंकि विस्तारण की भूमि शहरी सीलिंग के अन्तर्गत नहीं आती है किन्तु भी सकम प्राधिकारी द्वारा सुविपूर्ण तरीके से विस्तारण की भूमि को शहरी सीलिंग में अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है, जिसका नगर लभित है तथा विस्तारण को पूर्ण विस्तार है कि उपरान्त नगर में विस्तारण के पक्ष में निर्णय होगा। यदि जल भूमि के सम्पन्न में शहरी सीलिंग दर्ज होने का आदेश निस्त नहीं होता और प्रस्तावित केता के जल भूमि के कले से बंदकृत किया जाता है तो विस्तारण सम्पूर्ण प्राप्त विस्तार मुक्त की पनराशि बाज सहित केता को वापस करेंगे।

अम वजकृत सुद के उसी विस्तार कृषि भूमि स्थित ग्राम-अहममक, पटाना, तहसील व जिला लखनऊ की सुद-सोच व

हस्ताक्षर
03/03/2008

MAJOR PROJECT

MAJOR PROJECT
03/03/2008

समझकर बिना दबाव गाजायज किसी चीज व हक व जुज के बिल
एवज रु० 10,80,812/- (लपया दस लाख पचासी हजार आठ सौ
बारह मात्र) में जेता उपरोक्त के हक में बेचना तय पाया है। जिसका
मुद्दा समय बदा निम्नलिखित शर्तों के प्राबन्ध होते हैं:-

1. यह कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त तयशुदा कीमत
में से जेता ने विक्रेतागण को लपया 10,80,812/- बयाना के
तीर पर द्वारा चेक सं०- 317839, 317840 दिनांकित 13,
07,2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा इलाहाबाद, लखनऊ के
माध्यम से अदा कर दिया है। जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण
स्वीकार करते हैं।
2. यह कि बकाना रुपया रु० 5,000/- (लपया पाँच हजार मात्र)
जेता, विक्रेतागण को नवम्बर रजिस्ट्री अदा करेंगा।
3. यह कि उक्त भूमि दिनांक 03.03.2008 को श्रीमान अमर
जिताधिकारी/सदाम प्राधिकारी नगर भूमि सीमातोषड़ लखनऊ
के द्वारा अनिलिखत घोषित गहरी सीलिंग के नाम दर्ज हो गई
है, जिसका बाद सदाम प्राधिकारी के कार्यालय में लम्बित है।
विहीन कृषि भूमि विक्रेतागण के कर्ज में मौजूद है, विहीन
कृषि भूमि जुमला हर किस्य के इलाकालात, गिरन, रोहन, खर,
हिया, जमानत, कुकी, क्काक, मुख्यग, सरकारी वा गैर
सरकारी बैंक बण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है,
अतः सदाम अधिकारी मुख्यमा निर्णीत होने के उपरान्त
श्रीमतीश्रीय एक माह के भीतर विक्रेतागण जेता के पक्ष में

इधर
देखें
कृषि भूमि

महेश्वर

महेश्वर

विलय विलेख निष्पादित कर देगा। क्योंकि विलेखगण की भूमि राष्ट्रीय सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आती है फिर भी राक्षस प्राधिकारी द्वारा अतिपूर्ण तरीके से विलेखगण की भूमि को राष्ट्रीय सिलिंग में अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है, जिसका बाद सम्भव है तथा विलेखगण को पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त बाद में विलेखगण को फस में निर्णय होगा। यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सिलिंग दर्ज होने का आदेश निरस्त नहीं होता और प्रस्तावित फस को उक्त भूमि के फस से वेदमूल चिन्ता जाता है तो विलेखगण सम्पूर्ण प्राप्ति विलेख भूज की धनराशि स्वयं सहित फस को वापस करेगा।

4. यह कि विलेखगण यदि उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री बयानामा निष्पादित करने में हीला-हवाली करता है तो फस को यह अधिकार होगा कि वह क्वाटिये अदालत उक्त भूमि का रजिस्ट्री बयानामा अपने हक में फस लेवे तथा उक्त अदालती कार्यवाही में होने वाले कार्य की निम्नोदारी विलेखगण की होगी।
5. यह कि रजिस्ट्री बयानामा निष्पादन में होने वाले कार्य जैसे कि स्टाफ, शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस आदि की निम्नोदारी फस को उपरोक्त की होगी।
6. यह कि इस अनुबन्ध पत्र द्वारा फस को दिया जा रहा है। विलेखगण व फस दोनों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।

साथ निम्नोदारी व फस को फस को

साथ निम्नोदारी व फस को फस को

साथ निम्नोदारी व फस को फस को

7. यह कि उपरोक्त विस्तृत अनुक्रम की हार्न मुक्त निकालागण व उत्तराधिकारी वैयक्तिक प्रतिनिधि, प्रशासक व जेता व जेता एवं के वैयक्तिक वारिसान आदि पर भी लागू होंगे।
8. यह कि उपरोक्त भूमि ग्राम अहमगज़, अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित स्तरबेल रेट रु० 32,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत सम्पत्ति की भूमि रु० 0.1099 हेक्टेयर की मतिनत रु० 3,51,600/- होती है, जो विपश्य भूज्य से कम है अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 76,200/- के जनरल स्टम्प अदा किया जा लें है।
9. यह कि आराजी उपरोक्त में होती होती है, आराजी उपरोक्त में पेट, द्युक्सेन, मुजा व हुमाता आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी की 200 मीटर की किरवा में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय मतिविधिया संचालित है।
10. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
11. यह कि आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

12. विवेका अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति का राज्य नहीं है।

आतः यह विवेक अनुसूचित पत्र आज विवेकागण व श्रेता ने बिला जोर द्वारा राज्यायन किसी राज्य के स्वतंत्र मलिक, स्वतंत्र सहमति से अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर तहरीर कर दिया ताकि तब से रहे और वक्त अवसर पर काम आये।

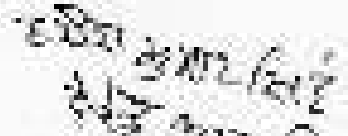
लखनऊ

दिनांक :- 12.07.2010

गवाहान:-

1. 
श्री राजेश्वरी मा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

2. 
श्री रामेश्वरी सिंह
618/163, 4/24-4/2
लखनऊ - 226000


विवेकागण


श्रेता

दस्तावेज


(राजेश्वरी)
सिद्धि धीर, लखनऊ

मलविदाकर्ता

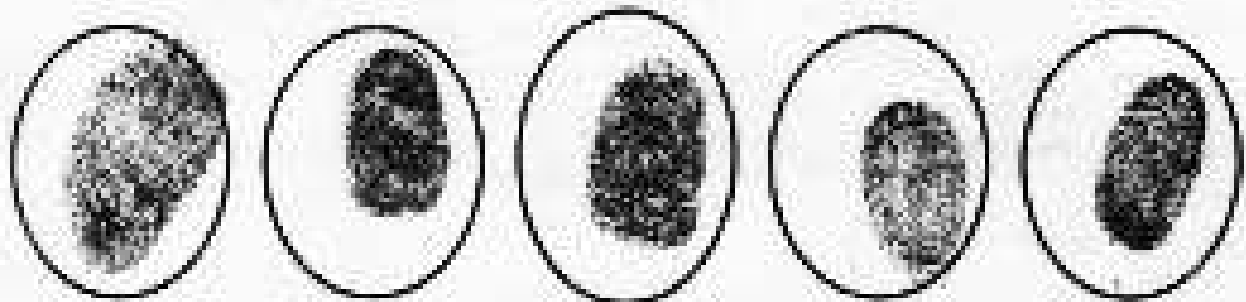

(मयंक श्रीवास्तव)
एडवोकेट

**रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिन्ट्स**

निवेता का नाम व पता:- हरिश्चंद्र कुमार सिंह पुत्र डीसला बख्श सिंह, निवासी-
ग्राम-अहममऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ।
बाईं हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



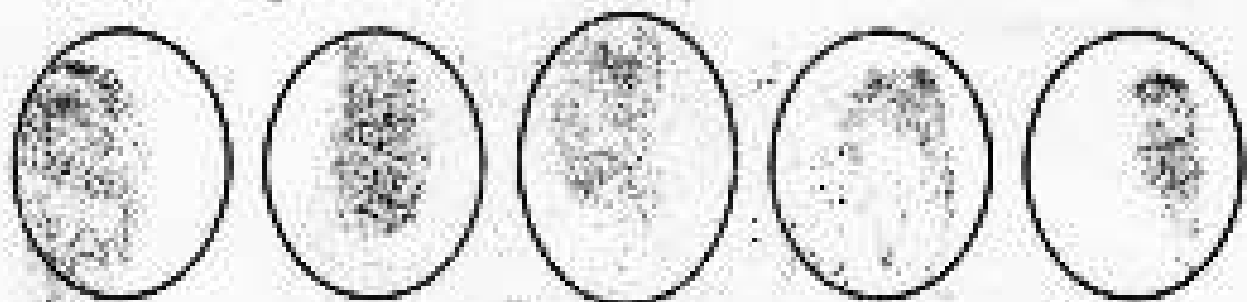
हरिश्चंद्र कुमार सिंह
निवेता का हस्ताक्षर

निवेता का नाम व पता:- देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र डीसला बख्श सिंह, निवासी-
ग्राम-अहममऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ।

बाईं हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



देवेन्द्र कुमार सिंह
निवेता का हस्ताक्षर

1000/1200

विशेष आचार्यसंकेत (संकेत)

1000/1200

1000/1200

1000/1200

1000

विशेष

संकेत

1000

विशेष आचार्यसंकेत

1000

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

विशेष आचार्यसंकेत

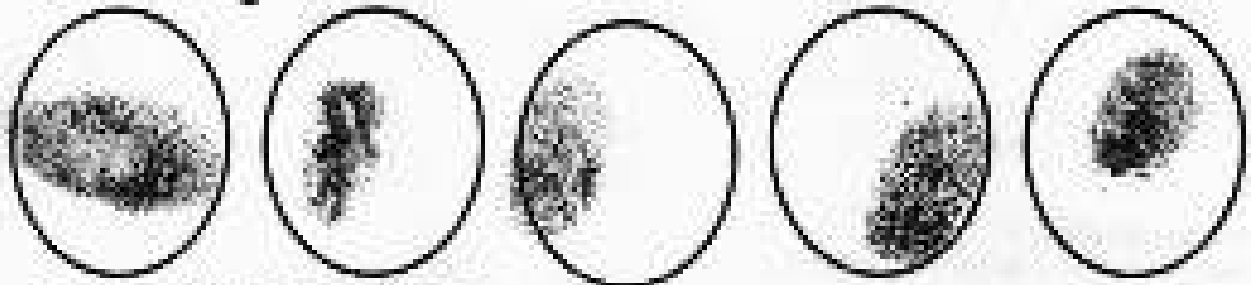
विशेष आचार्यसंकेत



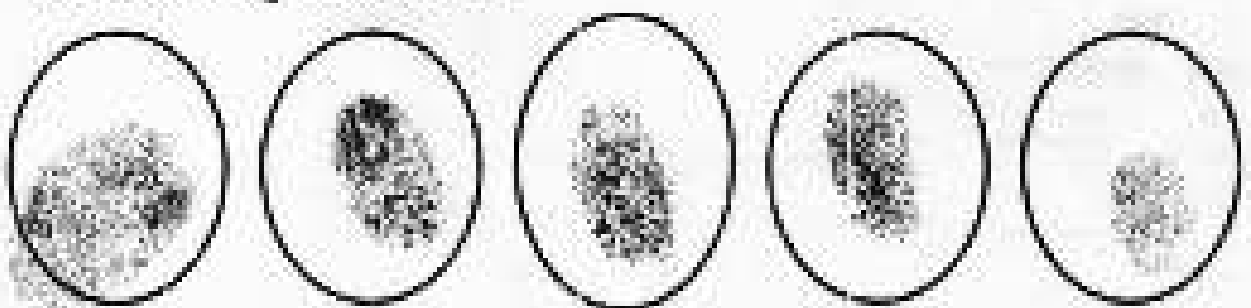
**रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स**

बिजेरा का नाम व पता:- अन्सल प्रायटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गणेशमाल सिंह, वर्तमान पता- प्रथम तल, बार्डो एनोसी 050 सिविलिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-

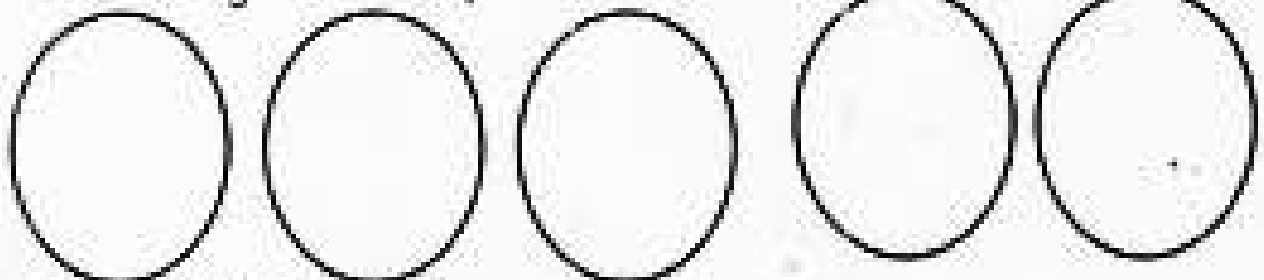


दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-

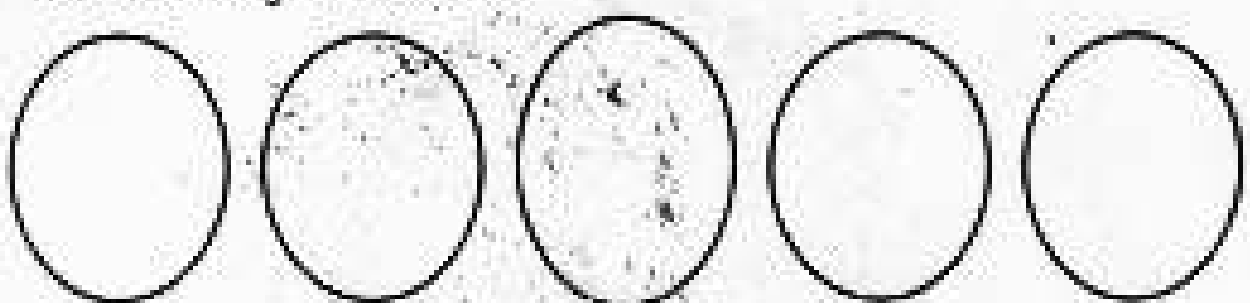


बिजेरा का नाम व पता:-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



बिजेरा का हस्ताक्षर

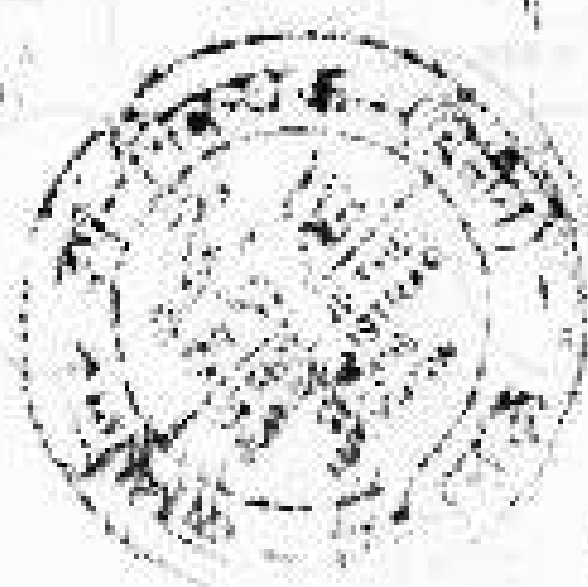
से निम्नलिखित विवरण
दिनांक ०१/०१/२०२० को
दिए गए हैं।
दिनांक ०१/०१/२०२०

दिनांक ०१/०१/२०२०
दिनांक ०१/०१/२०२०
दिनांक ०१/०१/२०२०
दिनांक ०१/०१/२०२०
दिनांक ०१/०१/२०२०

सचिव, गुजरात

गुजरात सरकार के निम्नलिखित विवरणों के लिए

गुजरात सरकार (प्रशासनिक)
गुजरात सरकार (प्रशासनिक)
गुजरात सरकार (प्रशासनिक)
गुजरात सरकार (प्रशासनिक)



7

April 1937

734

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$


Figure 1

941

पिछेवा

Registration No. 11005

Year 2010

Page No.

0101 इमेल कुमार सिंह

पिछेवा गा. वि.

पु.स. प्रमाणिक प्रमाण

पु.स.



0102 केमल कुमार सिंह

पिछेवा गा. वि.

पु.स. प्रमाणिक प्रमाण

पु.स.



नवसा नजरी

ग्राम- वि.स.ना.उ.क.
 कुलसंख्या- 800, 811, 814, 815, 803, 835 883, 729
 पिकांती 800, 811, 814, 815, 803, 835 883, 729
 मंता 800, 811, 814, 815, 803, 835 883, 729

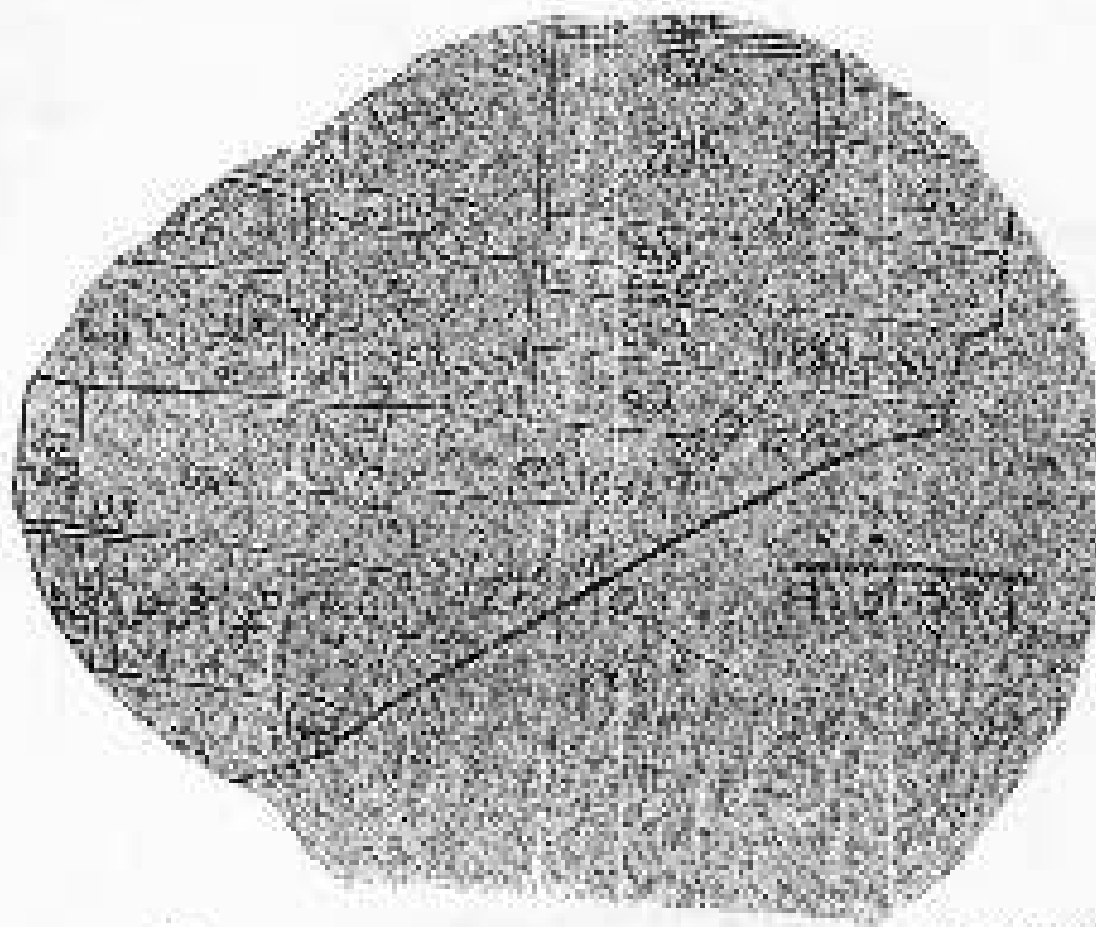


वि.स.ना.उ.क.
 नवसा नजरी
 नवसा नजरी

Handwritten signature and text in the bottom right corner.

नक्सा नजदी

ग्राम- जिहनाथ डूंग
 छातरा संख्या- ८५१
 विवेका परीक्षा कक्षा १० वीं के-३ छात्रा १९५५
 क्रेता श्रीमान प्रभाकर सिंह अकलखण्ड १९५५



श्रीमान प्रभाकर सिंह
 निवासी
 अकलखण्ड

श्रीमान प्रभाकर सिंह
 अकलखण्ड

आम दिनांक 13/07/2010 २

पृष्ठ सं. 1 दिनांक 9084

पृष्ठ सं. 289 से 322 का अंक 1:00

पंजीकृत किया गया।

सिद्धिपति, श्री. श्री. श्री.



राजेश कुमार (पंजी)

उप-निर्देशक (पंजी)

लखनऊ

(13/7/2010)

